आई सी डी एस अधिकारियों ...

क्र.स.	परियोजना	बाल विकास ...

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाऐं, महिला एवं बाल विकास विभाग नागौर

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के सामने हवाई पट्‌टी रोड नागौर

E-Mail ID - icdsngr@rediffmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–आईसीडीएस/ विज्ञप्ति/2024/420 दिनांकः– 19/06/2024

रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति संख्या –08

नागौर/डीडवाना–कुचामन जिले की विभिन्न परियोजनाओं में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों के ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदो हेतु विज्ञप्ति एतदद्वारा जारी कर आवेदन पत्र सीडीपीओ कार्यालयों मे आमंत्रित किये जाते है। इस विज्ञप्ति हेतु आवेदन संबंधित कार्यालयों मे दिनांक 20 जुन 24 से 19 जुलाई 2024 तक कार्यदिवस में किया जा सकता है। यह विज्ञप्ति निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं संशोधत आदेश 57871–58286 दिनांक 01.03.2024 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार के अनुसार जारी की जा रही है।

परियोजनावार रिक्त पदो की सूचना

क्र. सं.	सीडीपीओ कार्यालय का नाम	आं. बा. कार्यकर्ता का रिक्त पद	सहायिका का रिक्त पद	कुल पद	मोबाईल नं.	ई–मेल आईडी
1	नागौर	6	22	28	9460653049	cdponagaur@rediffmail.com
2	जायल	4	28	32	8209482751	cdpojayal@gmail.com
3	लाडनूँ	3	17	20	9351204313	ladnuncdpo@gmail.com
4	डीडवाना	6	24	30	9549342622	cdpodidwana@gmail.com
5	कुचामन	1	11	12	8890822872	cdpokuchaman@gmail.com
6	नावां	1	13	14	8890822872	cdponawacity@gmail.com
7	परवतसर	2	20	22	8078651988	cdpoparbatsar@gmail.com
8	मकराना	11	18	29	8094286756	cdpomakranagramin@gmail.com
9	डेगाना	6	16	22	9829885581	cdpodegana@rediffmail.com
10	रियांबडी	7	20	27	8504814141	cdporiyan@gmail.com
11	मेडता	11	19	30	8504814141	cdpomerta@gmail.com
12	मूण्डवा	4	21	25	9636919990	cdpomundwa@gmail.com
13	खींवसर	2	8	10	8619311034	cdpo01khinwsar@gmail.com
	योग	**64**	**237**	**301**		

चयन हेतु वांछित पात्रताः–

1. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जायेगा।
2. **आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधि घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।**
3. आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम बारहवी उत्तीर्ण महिला ही आवेदन कर सकती है।
4. विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि 20.06.2024 को आ.बा.कार्यकर्ता और सहायिका के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित – प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीडित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक की होगी। आंगनबाडी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागु नहीं होगी।
5. **विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र व पुनर्विवाह नही किया गया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।**

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवाऐं,
महिला एवं बाल विकास विभाग नागौर
कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के सामने हवाई पट्टी रोड नागौर
E-Mail ID - icdsngr@rediffmail.com

6. तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर न्यायालय से जारी आदेश /डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावें।
7. जिन आंगनबाडी केन्द्रो के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति /अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उक्त पद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी केन्द्र के सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
8. रिक्त पदो की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
9. कोर्ट आदेश के अनुसार आंगनबाडी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनो पात्र होगी। किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टेंकिग (शपथ पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरान्त मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।
10. आवेदन पत्र संबंधित सीडीपीओ कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।
11. आवेदन पत्र दो प्रतियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः विज्ञप्ति में अंकित अंतिम तिथि तक जमा किये जा सकेगे। कार्यालय में संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद (आवेदन पत्र सहित समस्त संलग्न दस्तावेजों के पेज संख्या अंकित करवाते हुए आवेदन पत्र व समस्त दस्तावेजों पर स्वप्रमाणित करवाया जाने के साथ) आवेदनकर्ता को अवश्य देंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाना आवश्यक होगा।
12. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी–पूर्ती हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति मे वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अंतिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
13. इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनवाडी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर सीडीपीओं कार्यालयों में आवेदन करने की **अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 सांय 5** बजे तक है।
14. राजस्थान राज्य से बाहर अन्य प्रदेश की आरक्षित महिला होने पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाकर केवल सामान्य वर्ग में मानी जायेगी।
15. विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजो के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
16. यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/ कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।
17. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।

(मनोज चौधरी)
उप निदेशक आईसीडीएस
महिला एवं बाल विकास विभाग,
नागौर

कमांक/2024/ 421-27
दिनांकः– 19/06/2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय नागौर/डीडवाना–कुचामन।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर/डीडवाना–कुचामन।
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर/डीडवाना–कुचामन।
5. विकास अधिकारी, पंचायति समिति, नागौर/ जायल/ लाडनू/ डीडवाना/ कुचामन/ मकराना/ परबतसर/ रियां/ मेडता/ डेगाना/ मूण्डवा/ खीवसर/मौलासर/नावां/भैरूदा एवं समस्त कार्यालय नोटिस बोर्ड
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, नागौर/जायल/लाडनू/डीडवाना/कुचामन/नावां/परबतसर/मकराना/डेगाना/रियांबडी/मेडता/ मूण्डवा/ खीवंसर को भेज कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति की एक कॉपी समस्त 15 पंचायत समितियों मुख्यालयों पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सेक्टर प्रभारी महिला/पुरूष पर्यवेक्षक के माध्यम से रिक्त पदों वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्रों और आंगनबाडी केन्द्रों पर चस्पा करावें।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड /अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय हाजा/आंगनबाडी संस्थापन शाखा/लेखा शाखा/बिल शाखा/रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक आईसीडीएस
महिला एवं बाल विकास विभाग, नागौर

Scanned with OKEN Scanner